UPAG010057502026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आगरा।

पीठासीन अधिकारी– (SHRI SANJAY KUMAR MALIK), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01906**

जमानत प्रार्थना पत्र संः 2445/2026

सतानन्द उर्फ बबलू पुत्र राममूर्ती निवासी– उमरैठा थाना बासौनी आगरा उम्र करीब 48 वर्ष

.....अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य

.....अभियोजन–पक्ष

मु0अ0सं0–111/2025
धाराः 420,467,468,471,406,120बी
भा0दं0सं0
थाना बाह, जिला आगरा

दिनांकः 02.06.2026

प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त सतानन्द उर्फ बबलू की ओर से मु0अ0सं0 111/2025 अन्तर्गत धारा 420,467,468,471,406,120बी भा0दं0सं0 अन्तर्गत थाना बाह, आगरा के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में अभियुक्त की पत्नी श्रीमती ममता देवी ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें वर्णित है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि उसे झूठा फंसाया गया है। वास्तविकता यह है कि अभियुक्त के पिता द्वारा वर्ष 2013 में सुनील से भूमि क्रय की गयी थी, जिसके बाद अभियुक्त के पिता को रूपयों की आवश्यकता होने पर वर्ष 2022 में वादी को विक्रय की गयी थी, जिसके सम्पूर्ण कागज भी वादी को सौंप दिये गये थे एवं वादी ने संतुष्ट होकर भूमि खरीदी थी। अभियुक्त के भाई के साले द्वारा रंजिशन अभियुक्त तथा उसके

परिवारीजन के विरूद्ध झूठे अभियोग लिखा दिये गये थे, जिसके बहकावे में आकर वादी द्वारा यह झूठा अभियोग दर्ज कराया गया है। अभियुक्त कथित विक्रयपत्रों में गवाह नहीं है, न ही क्रेता अथवा विक्रेता है। वाद में भूस्वामी द्वारा अभियुक्त तथा उसके परिवारीजन के विरूद्ध कोई भी अभियोग दर्ज नहीं कराया गया है, शेष भूमि पर आज भी सुनील सिंह के परिवारीजन का कब्जा है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 11.03.2026 से कारागार में निरूद्ध है, अतएव जमानत प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन कथानक के अनुसार– वादी रघुराज सिंह द्वारा पुलिस आयुक्त, आगरा को प्रार्थनापत्र इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि लगभग तीन वर्ष पूर्व राममूर्ति, सतानन्द उर्फ बबलू, श्रीकृष्ण उर्फ कृष्ण मुरारी, भरत उर्फ कान्हा, रामयश उर्फ करू, रामलखन उर्फ गोलू जून 2022 में शाम के समय उसके घर आये तथा उन्होंने अपने लिए वादी से चार लाख रूपये की आवश्यकता बताई एवं रूपयों के बदले अपना प्लॉट बेचने की बात बताई कि उन्होंने मौजा उमरेठा तहसील बाह आगरा के गाटा संख्या– 986 से बैनामा दिनांकित 26.12.2013 के माध्यम से सुनील सिंह से क्रय किया है। क्रय कयि गये प्लॉट का वह मालिक व काबिज है, यह भी आश्वासन दिया कि उक्त प्लॉट पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है एवं पाक व साफ है। प्लॉट का क्षेत्रफल 183.94 वर्गमीटर है। उसे प्लॉट पसंद आया गया तथा उसका सौदा राममूर्ति, सतानन्द, श्रीकृष्ण, भरत उर्फ कान्हा, रामयश, रामलखन उर्फ गोलू से तीन लाख रूपये में तय हुआ। तय हुई रकम तीन लाख रूपया विभिन्न दिनांकों में नकद अपनी आवश्यकतानुसार उसके आगरा वाले घर से बैनामा करने की दिनांक 16.07.2022 से पूर्व ले गये थे एवं बैनामा दिनांक 16.07.2022 को पंजीकृत कर दिया। जब वादी ने दिनांक 21.03.2025 व 22.03.2025 को समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार में फर्जी रजिस्ट्री करने वाले गैंग राममूर्ति व उसके पुत्रगण एवं नातियों के विरूद्ध दर्ज होने के संबंध में पढ़ा तो उसे चिन्ता हुई। तब उसने राजस्व रिकॉर्ड के माध्यम से जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि कथित खसरा संख्या 986 में कहीं भू स्वामित्व के रूप में राममूर्ति का नाम अंकित नहीं है। वादी को राममूर्ति द्वारा जो बैनामा सुनील सिंह का दिखाया गया, दिनांक 26.12.2013 का कोई उल्लेख नहीं है। वादी के पक्ष में गाटा संख्या 986 रकवा 183.94

वर्गमीटर का जो विक्रय किया गया है, उसका भू स्वामित्व राममूर्ति के पास नहीं था। इनका ग्राम उमरैठा एवं आसपास के गांव में भय व आतंक है तथा सैकड़ों लोग पीड़ित हैं। इनके विरूद्ध अनेकों अभियोग पंजीकृत हैं, जिनका विस्तृत विवरण प्राथमिकी में दिया गया है। अभियुक्त सतानन्द उर्फ बबलू के विरूद्ध मु0अ0सं0 117/2025 धारा 60,72 आबकारी अधिनियम, मु0अ0सं0 86/2015 धारा 60,72 आबकारी अधिनियम थाना पिनाहट, आगरा, मु0अ0सं0 135/2016 धारा 307,323,342 भा.द.सं0 थाना न्यू आगरा, मु0अ0सं0 363/2016 धारा 323,342,506 भा.द.सं0 थाना ताजगंज, आगरा, मु0अ0सं0 99/2021 धारा 323,504,506 भा.द.सं0 पिनाहट, आगरा, मु0अ0सं0 95/2013 धारा 323,325,504,506 भा.द.सं0 थाना बसई अरेला, आगरा मु0अ0सं0 50/2025 धारा 318(4),316(2) भारतीय न्याय संहिता, मु0अ0सं0 58/2025 धारा 420,406,467,468 भा.द.सं0 थाना बाह, मु0अ0सं0 17/2025 धारा 351(2) भारतीय न्याय संहिता थाना बासौनी, आगरा पंजीकृत हैं।

वादी के प्रार्थनापत्र के आधार पर थाना बाह, आगरा पर अभियोग मु0अ0सं0 111/2025 अन्तर्गत धारा 420,467,468,471,406,120बी भा0दं0सं0 पंजीकृत किया गया।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, आगरा द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा कहा गया कि आवेदक/अभियुक्त एवं सह अभियुक्तगण द्वारा षडयंत्र कर कूटरचित प्रपत्रों के आधार पर वादी से छल से तीन लाख रूपये प्राप्त कर, कूटरचित विक्रय पत्र निष्पादित किया गया एवं धनराशि का बेईमानीपूर्वक दुर्विनियोग किया गया। प्रकरण में सह अभियुक्त भरत उर्फ कान्हा की जमानत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29.04.2026 को निरस्त की जा चुकी है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतएव जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक के तर्को को सुना तथा केस डायरी का परिशीलन किया।

उपलब्ध प्रपत्रों के अनुसार आवेदक/अभियुक्त सतानन्द उर्फ बबलू प्राथमिकी में नामित है एवं उसके द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर कूटरचित प्रपत्रों के आधार पर वादी के साथ छल करते हुए तीन लाख रूपये

प्राप्त कर, कूटरचित विक्रय पत्र निष्पादित किया जाना एवं धनराशि का बेईमानीपूर्वक दुर्विनियोग किया जाना आक्षेपित है।

वादी के प्रार्थनापत्र. की जांच सहायक पुलिस आयुक्त, आगरा द्वारा की गयी, जिसके अनुसार सुनील सिंह द्वारा दिनांक 21.12.2013 को गाटा संख्या 986 में कोई स्वामित्व न होते हुए भी उक्त भूमि का फर्जी बैनामा राममूर्ति के नाम किया गया एवं दिनांक 16.07.2022 को राममूर्ति का उक्त भूमि पर कोई स्वामित्व न होते हुए भी भूर्मि का फर्जी बैनामा रघुराज के नाम पर कर दिया, जिसके लिए राममूर्ति द्वारा तीन लाख रूपये कई किश्तों में प्राप्त किये गये। जांच आख्या में की गयी संस्तुति के आधार पर प्रकरण की प्राथमिकी दर्ज की गयी।

वादी रघुराज सिंह द्वारा विवेचक को दिये गये बयान में प्राथमिकी में वर्णित तथ्यों का समर्थन किया गया है।

केस डायरी के पर्चा संख्या–19 पर गवाह सुगम यादव द्वारा विवेचक को दिये गये बयान में कहा गया है कि रघुराज द्वारा ग्राम उमरैठा में एक जमीन जिसका गाटा संख्या–986 है, का बैनामा राममूर्ति से कराया गया था, जिसमें वह गवाह था। रजिस्ट्री के समय रजिस्टी कार्यालय पर राममूर्ति, सतानन्द उर्फ बबलू, श्रीकृष्ण उर्फ कृष्ण मुरारी, भरत उर्फ कान्हा, रामयश उर्फ करू तथा रामलखन उर्फ गोलू मौजूद थे। उसे कुछ दिन पहले पता चला कि जो जमीन रघुराज ने खरीदी थी, वह राममूर्ति द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाकर रघुराज सिंह को बेची गयी थी।

गवाह शिवदत्त तथा नन्दकिशोर द्वारा भी विवेचक को दिये गये बयानों में उपरोक्त वर्णित तथ्यों का समर्थन किया गया है। पत्रावली पर कथित कूटरचित विक्रय पत्रों की प्रतियां विद्यमान हैं।

आवेदक/अभियुक्त सतानन्द उर्फ बबलू प्राथमिकी में नामित है। उपलब्ध प्रपत्रों से यह निर्विवादित है कि आवेदक/अभियुक्त सतानन्द उर्फ बबलू, सह अभियुक्त राममूर्ति का पुत्र है। आवेदक/अभियुक्त एवं सह अभियुक्तगण द्वारा षडयंत्र के तहत वादी से छल से तीन लाख रूपये प्राप्त कर, कूटरचित विक्रय पत्र निष्पादित किया जाना एवं धनराशि का बेईमानीपूर्वक दुर्विनियोग किया जाना कहा गया है। आवेदक/अभियुक्त एवं सह अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत अभियोग के अतिरिक्त अनेकों आपराधिक अभियोग पंजीकृत हैं। अपराध की प्रकृति गंभीर है।

तदैव मामले के समस्त तथ्यों एवं अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत जमानत हेतु पर्याप्त आधार नहीं हैं एवं जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त सतानन्द उर्फ बबलू का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(संजय कुमार मलिक)
सत्र न्यायाधीश,
आगरा
02.06.2026

Digitally signed by SANJAY KUMAR MALIK
Date: 2026.06.03 06:58:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court